

विगत 05 वर्षों में पायरोलिसिस इकाईयों के किए गए निरीक्षणों की जानकारी :

क्र.	उद्योग का नाम	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	मेसर्स राकड्यूट क्लीन टेक प्रा.लि. ग्राम हताई पालकी नागदा जिला उज्जैन	12.01.2015 05.11.2015 06.02.2017 24.12.2017 15.03.2018	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी. दिनांक 24.11.2015 का पालन करने हेतु बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक 1420 दिनांक 21.12.2017 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड के पत्र क्रमांक 189 दिनांक 20.4.2018 द्वारा उद्योग को एस.ओ.पी. का पालन नहीं करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने की कार्यवाही किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। एस.ओ.पी. के बिन्दु क्रमांक-1, 4 व 8 का पालन नहीं करने के कारण बोर्ड के पत्र क्रमांक 733 दिनांक 16.07.2019 से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने की कार्यवाही किए जाने का पुनः नोटिस जारी किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.09.2019 के परिपेक्ष्य में बेच आधारित उत्पादन प्रक्रिया को कन्टीन्यूअस प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु नोटिस जारी किया गया है।
2.	मेसर्स श्री जी बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज प्रा.लि. ग्राम सीपाहेड़ा तहसील खाचरोद जिला उज्जैन	20.01.2014 23.11.2015 16.06.2019	<ol style="list-style-type: none"> बोर्ड के पत्र क्रमांक 1875 दिनांक 29.09.2015 द्वारा उद्योग को सम्मति शर्तों का पालन नहीं करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने की कार्यवाही किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। उद्योग द्वारा एस.ओ.पी. का पालन नहीं करने के कारण बोर्ड के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 30.04.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश जारी किये गये। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.09.2019 के परिपेक्ष्य में बेच आधारित उत्पादन प्रक्रिया को कन्टीन्यूअस प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु नोटिस जारी किया गया है।

3.	मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज, ग्राम बेड़ावन्या, तहसील खाचरोद जिला उज्जैन	16.04.2014 30.04.2017 08.01.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी. दिनांक 24.11.2015 का पालन करने हेतु बोर्ड के पत्र क्रं. 1422 दिनांक 21.8.2017 से सूचना पत्र जारी किया गया । 2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करने हेतु बोर्ड के पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 08.01.2018 से पुनः सूचना पत्र जारी किया गया । 3. उद्योग को एस.ओ.पी. का पालन नहीं करने के कारण बोर्ड के पत्र क्रमांक 506 दिनांक 06.06.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश जारी किये गये। 4. उपरोक्त नोटिस के परिपालन में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. द्वारा उद्योग का विद्युत विच्छेदन किया गया है, किन्तु उद्योग द्वारा उत्पादन जारी रखने एवं प्रदूषण की शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त होने के कारण बोर्ड के पत्र क्रमांक 977 दिनांक 20.08.2019 को एस. डी.एम. खाचरोद, जिला उज्जैन एवं कलेक्टर, उज्जैन को उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया बंद कराने के संबंध में डी.जी. सेट जप्त करने की कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है । 5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.09.2019 के परिपेक्ष्य में बेच आधारित उत्पादन प्रक्रिया को कन्टीन्यूअस प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु नोटिस जारी किया गया है ।
----	--	--	--